रजिस्ट्री सं० डी०एल०--33001/97

REGISTERED NO. DL-33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19, 1997/चैत्र 29, 1919

No.16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 1997/CHAITRA 29, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1997

सा.....का. नि. 197.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी महानिदेशालय में रिपोर्टर (मानीटरिंग) (हिन्दी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, आकाशवाणी रिपोर्टर-मानीटरिंग (हिंदी) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

871 GI/97—1

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
रिपोर्टर मानीटरिंग (हिन्दी)	4* (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	2000-60-2300-द. रो. 75-3200-100-3500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की [illegible]
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति : आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी—II (वेतनमान 1400-2600) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के वे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 1640-2900 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 1400-2300/2600 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास आशुलिपि (हिन्दी) में 140 शब्द प्रति मिनट की गति और टंकण में प्रवीणता है। टिप्पण :—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) : 1. निदेशक (प्रशासन और इंजीनियरिंग)/ निदेशक (प्रशासन और वित्त), डी. जी./ए आई आर, नई दिल्ली —अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (प्रशासन) समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली। —सदस्य 3. भारतीय सूचना सेवा का ज्येष्ठ श्रेणी का एक समूह "क" का अधिकारी जो समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली में कार्यरत हो। —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 18/2/95-एस-6/बी (ए).]

विजय शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 27th March, 1997

G.S.R. 197.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Reporter (Monitoring) (Hindi) in the Directorate General, All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio, [Reporter (Monitoring) (Hindi)] Recruitment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification and Scale of pay.—The number of post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person:—

(a) Who was entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Reporter Monitorng (Hindi)	*4 (1996)	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Selection	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualification required for Direct Recruits	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	One year for promotees	Promotion failing which by Transfer on deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer Grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a Departmentla Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
12	13	14
Promotion Stenographer Grade II of All India Radio and Doordarshan (pay scale Rs. 1400-2600) with 8 years' regular service in the grade. Transfer on Deputation Officers of the Central Government: (a)(i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent or (iii) with 8 years regular service in the posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent, and (b) Possessing the speed of 140 words per minute in Stenography (Hindi) and proficiency in Typewriting. Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (For confirmation) : 1. Director (Administration and Engineering)/ Director Administration and Finance) Directorate General, All India Radio—Chairman 2. Deputy Director of Administration, News Services Division, All India Radio, New, Delhi —Member 3. An Officer of Senior Grade of Indian Information Service Group 'A' working in News Services Division, All India Radio, New Delhi—Member	Consultation with Union Public Service Commission not neceessary

[F. No. 18/2/95—SVI/B(A)]
VIJAY SHARMA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1997

सा. का. नि. 198—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) सफदरजंग अस्पताल (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को जहां तक उनका संबंध नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स के पदों से है;

(ii) विलिंग्डन अस्पताल नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को जहां तक उनका संबंध नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स के पदों से है;

(iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1981 को जहां तक उनका संबंध नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स के पदों से है;

(iv) कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1981 को जहां तक उनका संबंध नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स के पदों से है;

(v) पांडिचेरी मेडिकल कालेज/जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (तृतीय श्रेणी पद) पर भर्ती नर्सिंग कर्मचारी भर्ती नियम, 1963 जहां तक उनका संबंध नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स के पदों से हैं,